

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-54/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अजीत कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सासाराम, रोहतास के दिनांक-13.07.2019 से 09.01.2020 एवं दिनांक-23.03.2020 से 31.03.2020 तक अवकाश में बितायी गई अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 232 एवं 236 तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1493(25), दिनांक-16.07.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित रूप में स्वीकृत किया जाता है

(i)	दिनांक-13.07.2019 से 25.10.2019 तक	-	कुल 105 दिन को उपार्जित अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-230)
(ii)	दिनांक-26.10.2019 से 24.12.2019 तक	-	कुल 60 दिन को अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-232)
(iii)	दिनांक-25.12.2019 से 09.01.2020 तक	-	कुल 16 दिन को असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
(iv)	दिनांक-23.03.2020 से 28.03.2020 तक	-	कुल 6 दिन को उपार्जित अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-230)
(v)	दिनांक-29.03.2020 से 31.03.2020 तक	-	कुल 3 दिन को असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-54/2025-2255(2) पटना, दिनांक 18/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
रोहतास/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सासाराम, रोहतास /कोषागार पदाधिकारी, जिला
कोषागार, रोहतास/ डा० अजीत कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल,
सासाराम, रोहतास को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

WfmmnX 16/9/26
सरकार के उप सचिव।

६